



उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् कृषि विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
(बायोटेक भवन)



हल्दी-263145, पन्तनगर, जिला रुधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक: यू.सी.बी./हल्दी/2025/352

दिनांक 12/12/25

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी के निष्प्रयोज्य सामग्री दिनांक 18/12/25 को दिन के 2.00 बजे परिषद् के हल्दी मुख्यालय परिसर में की जायेगी। सामग्री की बिक्री 'जहां है जैसे है' के आधार पर की जायेगी। विक्रय किए जाने वाली निष्प्रयोज्य सामग्री का निरीक्षण परिषद् के हल्दी मुख्यालय परिसर में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक किया जा सकता है। यद्यपि सामग्री की नीलामी अधिकतम बोली लगाने वाले क्रेता के नाम स्वीकृत की जायेगी तथापि सामग्री का निर्धारित न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नीलामी निरस्त भी की जा सकती है। किसी भी बोली को कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकारी निदेशक, उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् के पास सुरक्षित होगा। अधिक जानकारी के लिए यू.सी.बी. की वेबसाइट www.ucb.ac.in पर संपर्क करें।

उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्।

**उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्
बायोटेक भवन हल्दी, जिला-ऊधमसिंह नगर**

विभिन्न प्रकार की निम्नयोज्य सामग्रियों की बिक्री हेतु बोलीदाता प्रपत्र

आवेदक/फर्म का पूरा नाम एवं पता:-
टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर (नाम सहित लिखें):-
ई-मेल (यदि उपलब्ध हो तो):-
जी0एस0टी रजिस्ट्रेशन नम्बर (फर्म की दशा में) (छायाप्रति संलग्न करें):-
पैन कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें):-
आधार कार्ड नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें):-
निविदा प्रपत्र राशि रू0:- 2000.00 + वस्तु एवं सेवा कर 18% = रू0 2,360.00
ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नम्बर एवं दिनांक:-
घरोहर धनराशि रू0:- 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र)
ड्राफ्ट/सावधि जमा प्रपत्र का नम्बर तथा दिनांक:-

नोट:- आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 2000.00 + वस्तु एवं सेवा कर 18% = **रू0 2,360.00** का ड्राफ्ट Director, UCB, Project & Activity, Haldi एवं घरोहर धनराशि **रू0 10,000.00 मात्र (रुपये दस हजार मात्र)** का ड्राफ्ट Director, UCB, Project & Activity, Haldi के नाम से अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं घरोहर राशि का ड्राफ्ट मूलरूप से अलग-अलग जमा न करने पर आवेदक द्वारा प्रेषित निविदा अस्वीकार्य की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर की राशि, (जिस लॉट/सामग्री पर जो भी दर होगी) सामग्री उठाने से पूर्व उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा कर रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।